राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–08 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री रवि शंकर सिंह जाह्नवी, बी॰–2/डी॰ अलखराज अपार्टमेंट पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, (पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास), पटना–800001

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.04.2023	श्री रवि शंकर सिंह जाह्नवी, बी॰–2/डी॰ अलखराज अपार्टमेंट पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, (पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास), पटना–800001 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–03.04.2023 इस कार्यालय में दिनांक–11.04.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 830758 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री रवि शंकर सिंह जाह्नवी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–शून्य को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, श्री नवल किशोर यादव (विधान पार्षद) अध्यक्ष–सह–जनप्रतिनिधि नुनुवती जगदेव सिंह महाविद्यालय, बख्तियारपुर, पटना को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक– शून्य की छाया–प्रति भी संलग्न है। विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। अपीलकर्त्ता श्री रवि शंकर सिंह जाह्नवी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। 12/4/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	